फर्द अहकाम

कजोड बनाम हरदी

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : प्रा. पत्र 238/2016

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	17/02/25	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा पर उभय पक्षकारान् की बहस अन्तिम पूर्व में सुनी गई। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में वर्णित तथ्यो को दौहराते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि राजस्व ग्राम तूंगा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर की सरहद में भूमि साबिक खसरा नम्बर 727 रकबा 9 बीघा 17 बिस्वा स्थित है जो प्रार्थी की पैतृक खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि चली आ रही है। प्रार्थी के पिता द्वारा उक्त भूमि में से 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि विक्रय करने के पश्चात उक्त विक्रयशुदा भूमि का खाता पृथक कायम किया जाकर उसका नया खसरा नम्बर 727/2 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा दर्ज किया गया तथा प्रार्थी की शेष बची भूमि का खसरा नम्बर 727/1 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा कायम किया गया। ग्राम तूंगा में बन्दोबश्त की कार्यवाही सन् 2002 से 2028 में सम्पन्न हुई। जिसमें प्रार्थी के साबिक खसरा नंबर 727 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा भूमि के नये खसरा नम्बर 1959, 1960, 1961, 1964, 1965 कुल किता 5 कुल रकबा 1.66 है0 कायम किये गये। हाल बन्दोबश्त कार्यवाही में प्रार्थी की साबिक कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि के नक्शे में दर्शित भू-भाग से जो नये खसरा नम्बर बनाये गये है, उनमें 1959, 1960, 1961; 1964 व 1966 है परन्तु भू-प्रबन्ध कारकूनान ने अप्रार्थीगण से साजकर प्रार्थी के कब्जे व खातेदारी की भूमि से बने खसरा नम्बर 1966 का खातेदारी इन्द्राज अप्रार्थीगण के नाम कर दिया जो सरासर अवैध एंव प्रभावशुन्य है। जबकि अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि साबिक खसरा नंबर 728 रही है जिसके हाल खसरा नम्बर 1965 है। भू-प्रबन्ध अधिकारियो व कर्मचारियो को केवल पूर्व से चले आ रहे इन्द्राज को दौहराते हुए सर्वेक्षण की कार्यवाही करने की शंक्तियां प्राप्त थी। उन्हें किसी खातेदार की खातेदारी समाप्त करने, उसके भू-भाग की अदला-बदली करने का कोई	

6

फर्द अहकाम

कजोड बनाम हट्टी

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्ती

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : प्रा-पत्र 238/2016

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से

क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थी जो कि अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है, की भूमि को भू-प्रबन्ध की कार्यवाही में अप्रार्थीगण जो कि स्वर्ण जाति के व्यक्ति है, के नाम खातेदारी दर्ज नहीं की जा सकती। भू-प्रबन्ध की उक्त कार्यवाही धारा 42(ख) आर.टी.एक्ट के विपरीत होने के कारण अवैध एंव प्रभावशुन्य है। जिसके आधार पर अप्राथीगण को कोई हक व अधिकार प्रार्थी की भूमि के भू-भाग से बने खसरा नम्बर 1966 में अर्जित नहीं हो सकते। खसरा नम्बर 1966 में प्रार्थी के पुश्तैनी पुख्ता मकानात बने हुए है। जिसमें प्रार्थी निवास करता आ रहा है। प्रार्थी अपने पूर्वजो के समय से कब्जे व खातेदारी की भूमि पर मुतवातिर काबिज चला आ रहा है तथा उपयोग व उपभोग कर फायदा उठाते आ रहें है। अप्रार्थीगण का प्रार्थी की पैतृक कब्जे काश्त एंव खातेदारी की भूमि से कभी कोई संबंध व सरोकार नहीं रहा है।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी अनुसूचित जनजाति का ग्रामीण व अशिक्षित व्यक्ति है तथा अपने पूर्वजो के समय से चली आ रही कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि पर साधिकार काबिज चला आ रहा है। प्रार्थी निम्न तबके का अशिक्षित होने का नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थीगण ने भू-प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान भू-प्रबन्ध कारकूनान से साजकर गुपचुप में प्रार्थी की खातेदारी अपने नाम दर्ज करा ली, जिसकी जानकारी प्रार्थी को पूर्व में नहीं रही। दिनांक 12.06.2016 को अप्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 1966 की भूमि पर नाजायज दखल कर कब्जा करने की चेष्टा की तथा प्रार्थी को बेदखल करने का असफल प्रयास किया। प्रार्थी ने दिनांक 13.06.2016 व 14.06.2016 को वादग्रस्त भूमि के नक्शे व रिकार्ड की नकल निकलवाकर कानूनी सलाह ली तो प्रार्थी को अवैध इन्द्राज का ज्ञान हुआ। यदि अप्रार्थीगण अपने नापाक इरादो में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को अपनी भूमि से वंचित होना पड़ेगा और प्रार्थी को अपार क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी प्रकार से सम्भव नहीं होगी। प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया

फर्द अहकाम

कजोड़ बनाम हररी

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : प्रा. पत्र 238/2016

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		मजबूत प्रकरण एंव तुलनात्मक सुविधा का सन्तुलन है, इत्यादि तर्को के आधार पर निवेदन किया कि ताफैसला वाद अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1966 रकबा 0.33 हैक्टेयर वाके ग्राम तूंगा में प्रार्थी के कब्जे काश्त, उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की दखल न तो स्वंय करे, न अन्य से करावे, न ही जबरन् कब्जा करने की चेष्टा करे, न वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी के विद्यमान मकानात को क्षति पहुंचावे, न कोई निर्माण करावे तथा राजस्व रिकार्ड एंव मौके की यथास्थिति बनायी रखे। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत **न्यायिक दृष्टान्त 2016(2) आर.आर.टी. पेज 1084** में रिविजन टीए/नम्बर 353/2015 मोहम्मद रफीक बनाम सलीम व अन्य में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निर्णय दिनांक 27.10.2015 पारित फरमाकर यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया कि-Protecting the property till the disposal of the suit is the duty of the Court. वाद के निस्तारण तक सम्पत्ति की सुरक्षा करना न्यायालय का कर्त्तव्य है। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक के तर्को का पुरजौर विरोध करते हुए, अपने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दौहराते हुए दलील दी गई कि- प्रार्थी के पिता गोकूल पुत्र धन्ना के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 717 रकबा 9 बीघा 17 बिस्वा ग्राम तूंगा में स्थित रही है। जिसमें से 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि का बेचान दीगर व्यक्तियो को कर दिया एंव 1 बीघा 1 बिस्वा का बेचान अप्रार्थीगण के पूर्वज कल्याण को दिनांक 21.05.1973 को 500/- रूपये प्रतिफल राशि नकद प्राप्त कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये बेचान कर दिया व कब्जा सम्भला दिया। अप्रार्थीगण के पूर्वज कल्याण द्वारा क्रय की गई भूमि 1 बीघा 1	

फर्द अहकाम

कजोड़ बनाम हट्टी

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : प्रा. पत्र 238/2016

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से

बिस्वा के वर्तमान खसरा नम्बर 1965 रकबा 0.28 हैक्टेयर कायम किये गये। जिस पर अप्रार्थीगण अपने पूर्वज कल्याण के समय से लगातार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहें है एंव उपयोग व उपभोग करते आ रहें है। अप्रार्थीगण के पूर्वज कल्याण द्वारा क्रय की गई 1 बीघा 1 बिस्वा भूमि का नामान्तरकरण अप्रार्थीगण द्वारा नहीं खुलवाया है। अप्रार्थीगण का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र व कब्जा काश्त आज दिन तक बहाल है। साबिक खसरा नम्बर 727 के नये खसरा नम्बर 1959, 1960, 1961, 1964, 1965 कायम किये गये है। खसरा नम्बर 1965 से प्रार्थी का कोई संबंध, सरोकार नहीं है। साबिक खसरा नम्बर 727 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा के नवीन खसरा नंबर 1959, 1960, 1961, 1964, 1965 कुल किता 5 कुल रकबा 1.66 हैक्टेयर कायम किये गये है जो कि बिल्कुल सही है। अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि साबिक खसरा नम्बर 728 रकबा 18 बीघा 5 बिस्वा ग्राम तूंगा में स्थित है जिसके सन् 2002 से 2022 के तहत नवीन खसरा नम्बर 1962, 1966, 1967, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 1992, 1993, 1977/4 कायम किये गये है।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि पूर्व में अप्रार्थीगण द्वारा एक वाद पत्र नन्दलाल बनाम गोकूल मु0नं0 33/2013 माननीय न्यायालय के समक्ष बेदखली व स्थायी निषेधाज्ञा का खसरा नम्बर 1966 की बाबत् पेश किया गया है जिसे माननीय न्यायालय ने दिनांक 10.06.2016 को अप्रार्थीगण के पक्ष में डिक्री फरमाते हुए प्रार्थी व उसके परिवार को खसरा नम्बर 1966 से बेदखली की निर्णय व डिक्री पारित की है। जिसकी अपील भी प्रार्थी व उसकी माता व भाई ने सक्षम न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के समक्ष कर रखी है। ऐसी स्थिति में यह वाद पत्र पश्चातवर्ती वाद की परिभाषा में आता है एंव कानूनन चलने योग्य नहीं होने के कारण

फर्द अहकाम

कजोड़ बनाम हट्टी

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : प्रा. पत्र 238/2016

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		निरस्तनीय है। प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बरो के उल्टे-सीधे होने का कथन गलत होने से स्वीकार नहीं है। सेटलमेण्ट ने कोई खसरा नम्बर गलत नहीं किये है। बल्कि वास्तविकता में प्रार्थी माननीय न्यायालय के पूर्व के निर्णय व डिक्री दिनांक 10.06.2016 की पालना से बचने के लिए यह वाद विधि विरूद्ध व प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थी ने एक वाद पत्र खसरा नम्बर 1965 की बाबत् कजोड़मल बनाम नन्दलाल सक्षम सिविल न्यायालय में पेश किया है। जिसमें सक्षम सिविल न्यायालय ने खसरा नम्बर 1966 को साबिक खसरा नम्बर 727 का भाग नहीं माना है एंव प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 6 नियम 17 सी0पी0सी0 को खारिज कर दिया है एंव खसरा नम्बर 1966 रकबा 0.33 हैक्टेयर को साबिक खसरा नम्बर 728 का भाग माना है। ऐसा सम्भव नहीं है कि राजस्व नक्शे व जमाबन्दी में रकबा समान हो व रिकार्ड गलत हो। खसरा नम्बर 1966 व 1965 से प्रार्थी का कोई संबंध, सरोकार नहीं है। ना ही कभी रहा है। खसरा नम्बर 1966 का राजस्व रिकार्ड अप्रार्थीगण के नाम अंकित है। अप्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 1966 में एक पुख्ता मकान बना रखा है, जिसका रहने, पशु चारा भरने, पशु बांधने व अन्य तरीके से उपयोग व उपभोग करते चले आ रहें है। आज से कुछ वर्ष पूर्व अप्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 1966 में पानी की कमी हो जाने से खेती सुचारू नहीं रख पाने के कारण प्रार्थी के पूर्वज गोकूल को आधा बांटा पर दी व परमिशिव पजेशन के रूप में कब्जा सुपुर्द किया व पैदा का आधा बांटा अप्रार्थीगण प्रार्थी के पिता गोकूल से लेते रहे। कालान्तर में गोकूल की मृत्यु हो गई। गोकूल के वारिस प्रार्थी के मन में वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 1966 को लेकर बेईमानी आ गई है। इस प्रकार प्रार्थी खसरा नंबर 1966 पर अप्रार्थीगण खातेदारो की सहमति से परमिशिव पजेशन में है। कानूनन परमिशिव पजेशन प्रार्थी को कोई हक व अधिकार उत्पन्न नहीं करता है। सन् 2010 में वर्षा अधिक होने व प्रार्थी एंव उसके पिता परिवार के पास कच्चे घर होने से रहने की	

फर्द अहकाम

कजोड बनाम हद्दी

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : प्रा. पत्र 238/2016

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		व्यवस्थ नहीं होने से प्रार्थी व उसके पिता को खसरा नंबर 1966 में स्थित अप्रार्थीगण के मकान में रहने की अनुमति दे दी, तब से प्रार्थी व उसका परिवार अप्रार्थीगण की सहमति व अनुमति से खसरा नम्बर 1966 में बने अप्रार्थीगण के मकान में निवास कर रहें है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के पिता को खसरा नम्बर 1966 की भूमि व उसमें स्थित मकान खाली करने हेतु कहने पर प्रार्थी के पिता ने मना कर दिया। जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा एक वाद मु0नं0 33/2013 नन्दलाल बना गोकूल बाबत् बेदखली का माननीय न्यायालय सहायक जिलाधीश बस्सी के समक्ष पेश किया, जिसे माननीय न्यायालय ने दिनांक 10.06.2016 को निर्णीत करते हुए प्रार्थी को बेदखली के आदेश जारी किये है। प्रार्थी ने उक्त डिक्री दिनांक 10.06.2016 की पालना का रूकवाने हेतु व खसरा नम्बर 1966 पर विधि विरूद्ध कब्जा बनाये रखने हेतु हस्तगत वाद पत्र व प्रार्थना पत्र पेश किया है जो विधिक की मंशा के विपरीत होने से निरस्तनीय है। प्रार्थी मात्र भावनात्मक व असत्य कथन कर अप्रार्थीगण की भूमि हथियाना चाहता है। जिसका उसे कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। खसरा नम्बर 1966 के साबिक खसरा नम्बर 728 है जिसकी खातेदारी अप्रार्थीगण व उनके पूर्वजो के नाम रही है। जिसकी जानकारी प्रार्थी को शुरु से ही रही है। प्रार्थी धनबल, बाहुबल का स्वामी होने व ऊँची पहूँच होने से जबरन् अप्रार्थीगण की भूमि व उसमें स्थित मकान को कब्जाना व हथ्यिाना चाहता है। जिसका उसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। खसरा नम्बर 1966 व 1965 से प्रार्थी का कोई संबंध व सरोकार नहीं है ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा रिकार्ड देखने व नक्शा मिलान करने का कथन स्वतः गलत साबित हो जाता है। प्रार्थी को कभी भी वास्तविक वादकारण उत्पन्न नहीं हुआ है। प्रार्थी ने समस्त आरोप गलत लगाये है। प्रार्थी माननीय न्यायालय से किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी का अपूर्णीय क्षति का कथन गलत है। प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या केस तथा तुलनात्मक सुविधा का सन्तुलन नहीं है।

फर्द अहकाम

कजोड़ बनाम हरदी

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : प्रा. पत्र 238/2016

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		अतिरक्त कथन में भी उक्त तथ्यो की पुनरावृति की गई, इत्यादि तर्को के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया गया। हमने बहस पर चिन्तन, मनन व विचार किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन व पठन किया। अस्थाई निषेधाज्ञा विधि के तीन प्रमुख घटक 1-प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, 2-तुलनात्मक सुविधा का सन्तुलन, 3-अपूर्णीय क्षति के बिन्दुओ पर विचार किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। **1-प्रथम दृष्ट्या प्रकरण-** प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य तथा अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य साक्ष्य की विषयवस्तु है जो मूल वाद में तनकीयात कायम की जाकर सक्षम साक्ष्य सबूतो के आधार पर ही विनिश्चित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में वाद की विषयवस्तु को सुरक्षित रखने का दायित्व न्यायालय का बनता है। अप्रार्थीगण स्वंय ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में विवादित भूमि पर प्रार्थी का कब्जा होना स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में साबित है। **2-तुलनात्मक सुविधा का सन्तुलन-** चूँकि अप्रार्थीगण ने विवादित भूमि पर प्रार्थी का कब्जा होना स्वीकार किया है और प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में साबित है। मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को वांछित निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने पर अप्रार्थीगण को कोई असुविधा होना सम्भावित नहीं है। अप्रार्थीगण को राजस्व रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनायी रखने से पाबन्द नहीं किये जाने पर प्रार्थी को असुविधा होने की सम्भावना है। ऐसी स्थिति में तुलनात्मक सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित है। **3-अपूर्णीय क्षति-** चूँकि अप्रार्थीगण ने विवादित भूमि पर प्रार्थी का कब्जा होना स्वीकार किया है। मूल वाद के निस्तारण तक राजस्व रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनायी रखने से किसी भी पक्षकार को कोई असुविधा होना सम्भावित नहीं है। यदि मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को वांछित अस्थाई	

फर्द अहकाम

कजोड बनाम छट्टी

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : प्रा. पत्र 238/2016

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किये जाने पर अप्रार्थीगण द्वारा विवादित भूमि के मौका व रिकार्ड की स्थिति में परिवर्तन/तब्दीली करने की प्रबल सम्भावना है। जिससे वाद बाहुलता होगी। ऐसी स्थिति में अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में साबित है। उक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित अन्तरिम व्यादेश दिनांक 16.06.2016 को कन्फर्म किया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड एंव मौका की यथास्थिति बनायी रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है। अतएव प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि राजस्व ग्राम तूंगा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर की सरहद में स्थित विवादित भूमि खसरा नम्बर 1966 रकबा 0.33 हैक्टेयर के रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनायी रखे। निर्णय आज दिनांक 17.2.25 को सरे इजलास में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर मूल वाद के साथ संलग्न हो। सहायक कलक्टर बस्सी जिला-जयपुर